

**डिकी बमुकदमें इत्तदाई**

(आदेश 20 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-डिडिया कलां

मु0न0-27/2017

**राजस्व लोक अदालत अभियान  
स्याय आपके द्वार-2018**

**वादीगण-**

1. रामकुंवार पुत्र लच्छाराम
2. भंवरलाल
3. तराचंद
4. सत्यनारायण
5. रामराज
6. शैतानराम पुत्रगण उमाराम जाति कुम्हार निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

**प्रतिवादीगण-**

1. केलु देवी
2. केशर देवी
3. घीसा देवी पुत्रिया लच्छाराम
4. धापू देवी पत्नी उमाराम
5. नैनी
6. चीमा पुत्रिया उमाराम जातियान कुम्हार निवासीगण रोल तहसील जायल , नागौर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल



वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-27.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी रामकुंवार व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सामलाती हक बंट में मौजा रोल के ख नं 1463 रकबा 4.12 बीघा व मौजा रांतगा का खेत ख नं 360 रकबा 25.06 बीघा में से 12.13 बीघा उतरी भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।
  2. वादी भंवरलाल व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के सामलाती हक बंट में मौजा रांतगा का खेत ख नं 360 रकबा 25.06 बीघा में से 2.10 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।
  3. वादी ताराचंद के हक बंट में मौजा रांतगा के ख नं 360 रकबा 25.06 बीघा में से 2.10 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
  4. वादी सत्यनारायण के हक बंट में मौजा रांतगा के ख नं 360 रकबा 25.06 बीघा में से 2.10 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
  5. वादी रामराज के हक बंट में मौजा रांतगा के ख नं 360 रकबा 25.06 बीघा में से 2.10 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
  6. वादी शैतानराम के हक बंट में मौजा रांतगा के ख नं 360 रकबा 25.06 बीघा में से 2.13 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि डिक्की पर्चा में वर्णित घोषित सहखातेदारों के बीच बंटवारा स्कीम तैयार कर पेश करे।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करे। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.06.2018 को जारी किया गया।

**मुकदमा नं 27/2018**  
**बन्त सदस्य**  
**राजस्व लोक अदालत**  
**जायल ( नागौर )**

**(सुख प्रसाद)**  
**उपखण्ड अधिकारी जायली**  
**जायल, जिला नागौर**